285

संख्या : 227/XIII(II)/13(08)/2013

प्रेषक,

आर.के.चौहान,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलपति,
गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
पंतनगर (ऊधमसिंह नगर)।

कृषि एवं विपणन अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक :26 जून, 2014

विषयः **वित्तीय वर्ष 2014–15 में पन्तनगर विश्वविद्यालय में वाह्य शोध केन्द्रों के निर्माण की योजनान्तर्गत 02 निर्माण कार्यो हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक, गो.ब.पं. कृषि एवं प्रौ. विश्वविद्यालय के पत्र संख्या वि.नि./बजट/2013–14/294, दिनांक 26 फरवरी, 2014 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय पन्तनगर विश्वविद्यालय के वाह्य शोध केन्द्रों के अन्तर्गत संलग्न सूची में अंकित विवरणानुसार 02 निर्माण कार्यो हेतु विश्वविद्यालय की निर्माण इकाई द्वारा गठित मूल आगणनों की कुल लागत ₹ 60.70 लाख के सापेक्ष तकनीकी परीक्षणोपरान्त संस्तुत धनराशि **₹ 60.69 लाख** (₹ साठ लाख उनहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2014–15 में **₹ 50.00 लाख** (₹ पचास लाख मात्र) व्यय किये जाने की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष प्रदान करते है :–

1. उक्त कार्य इसी धनराशि में से ही वांछित गुणवत्तापूर्वक पूर्ण कराया जायेगा एवं भविष्य में इस कार्य के आगणन का कोई पुनरीक्षण किसी दशा में अनुमन्य नहीं किया जायेगा।
2. चूँकि निविदा में प्राप्त एल–1 निविदा (न्यूनतम निविदा) आधार पर स्वीकृत लागत से कम धनराशि व्यय होना सम्भावित है। अतः न्यूनतम सम्भावित व्यय के अनुसार ही कम धनराशि आहरण की जाएगी तथा आहरित धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि बचत होती है तो उसे तत्काल राजकोष में जमा करने का दायित्व वित्त नियंत्रक, पन्तनगर विश्वविद्यालय का होगा।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। भुगतान से पूर्व एम.ओ.यू. किया जाना अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाएगा।
4. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व शासनादेश संख्या 475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर अनुबन्ध निष्पादन की कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जाएगी
5. धनराशि का व्यय करते समय मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। मितव्ययता के फलस्वरूप अवशेष धनराशि को वित्तीय वर्ष के अन्त में नियमानुसार शासन/वित्त विभाग को समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2015 तक उपयोग करके कार्य की वित्तीय/ भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
7. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए, जितनी राशि स्वीकृत की गई है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
8. निर्माण कार्य तथा इस हेतु निर्माण सामग्री क्रय करने हेतु मानकों तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 (समय–समय पर यथासंशोधित) का पालन कड़ाई से किया जाएगा।
9. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए।

10. कार्य करने से पूर्व मदवार दर– विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदित कराना आवश्यक होगा।

11. उक्त अनुदान का देयक पन्तनगर विश्वविद्यालय द्वारा बनाया जाएगा जो विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक द्वारा हस्ताक्षरित होगा तथा जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में आय–व्ययक के 'अनुदान संख्या 17' के लेखाशीर्षक "2415–कृषि अनुसन्धान–00– आयोजनागत–80– सामान्य–120–अन्य संस्थाओं को सहायता–05–पंतनगर विश्वविद्यालय के वाह्य शोध केन्द्रों का निर्माण" के मानक मद "20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता" के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 183/XXVII-I/2012 दिनांक 28.3.2012 में विहित व्यवस्था के क्रम में www.cts.uk.gov.in से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेंट आई.डी. H1406170941 के अन्तर्गत तथा वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 34(पी.)/XXVII(4)/2013 दिनांक 24 जून, 2014 के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्न :–यथोपरि।

भवदीय,

(आर.के.चौहान)
उप सचिव।

संख्या : 227 (1)/XIII(2)/2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि , निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, इन्दिरा नगर, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
4. मुख्य कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
5. वित्त नियंत्रक, पंतनगर विश्वविद्यालय, पन्तनगर।
6. उप निदेशक (पंतनगर) विश्वविद्यालय।
7. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
9. नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह परमार)
अनुसचिव।

शासनादेश संख्या संख्या 227/XIII(II)/13(08)/2013 दिनांक 26 जून, 2014 का संलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र. सं	निर्माण/मरम्मत कार्य का नाम	मूल आगणन की धनराशि	टी.ए.सी. द्वारा संस्तुत धनराशि	प्रशासकीय स्वीकृति	वित्तीय स्वीकृति
1	अनुसन्धान केन्द्र लोहाघाट (चम्पावत) में चारदीवारी का निर्माण	22.93	22.93	22.93	12.24
2	अनुसन्धान केन्द्र ढकरानी (देहरादून) में कृषि फार्म की चारदीवारी का निर्माण	37.77	37.76	37.76	37.76
	योग	60.70	60.69	60.69	50.00

(₹ पचास लाख मात्र)

(महावीर सिंह परमार)
अनु सचिव।

D:\Anil, 2012\G.o, 2012.doc

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20142015

Secretary, Agriculture (Grants) (9026)

आवंटन पत्र संख्या - **227**

अनुदान संख्या - **017**

अलोटमैंट आई डी - **H1406170941**

आवंटन पत्र दिनांक -26-Jun-2014

DDO Name - District Magistrate (For Grants)U S Nagar (4183) , Treasury - U S Nagar (7500)

1: लेखा शीर्षक

2415 - कृषि अनुसन्धान

120 - अन्य संस्थाओं को सहायता

00 - पन्त नगर वि.वि.में वाह्य शोध केन्द्रो का निर्माण

80 - सामान्य

05 - पन्त नगर वि.वि.में वाह्य शोध केन्द्रो का निर्माण

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज	0	5000000	5000000
	0	5000000	5000000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - 5000000